न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:—1 / 2024 तारीख रजू:—20.03.2024

जी.सी.एम.एस. नंबर:—2024 / 17

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल ब्राम्हण
2. ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम ब्राम्हण
3. प्रेमदेवी पत्नि घनश्याम
4. महावीर पुत्र अमरनारायण
5. दिनेश पुत्र अमरनारायण
6. राकेश पुत्र अमरनारायण
7. निलेश पुत्री अमरनारायण
8. शोभा पुत्री अमरनारायण
9. संगीता पुत्री अमरनारायण
10. कंचन देवी बेवा पत्नि अमरनारायण
11. मुकेश पुत्र सीताराम
12. रूकमणी बेवा सीताराम
13. सदाशंकर पुत्री दुर्गादेवी

समस्त जातियान ब्राम्हण निवासीयान ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित::—

प्रार्थीगण वकील:—श्री दिनेश कुमार पारीक, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी:—पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:—30.03.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

1. प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि—

❖ प्रार्थीगण संख्या 01 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 02 के पितामह एवं प्रार्थी संख्या 03 के ससुर शंकरलाल पुत्र नन्दलाल ब्राह्मण एवं प्रार्थी संख्या 04 लगायत 09 के पिता मह एवं प्रार्थी संख्या 10 के स[illegible] एवं [illegible]र्थी संख्या 11 के पितामह एवं प्रार्थी संख्या 12 के ससुर कन्हैयालाल पुत्र [illegible] ब्राह्मण एवं प्रार्थी [illegible] 13 की माँ दुगदिवी बेवा पत्नि भवरलाल ब्राह्मण [illegible]सी ईसरदा तहसील [illegible] का बरवाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

जिला सवाई माधोपुर की सहखातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 79 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा बारानी 1. वाके ग्राम पावड़ेरा ठिकाना ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर में स्थित पर्चा खतोनी, जमाबन्दी अवधि संख्या 2009 से संख्या 2023 के खाता संख्या 510 वाद पत्र के साथ सलग्न है। उक्त पर्चा खतौनी के कालम संख्या 03 में खातेदारका इन्द्राज शंकर पुत्र नन्दलाल व कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ व दुर्गा बेवा भंवरलाल, जाति ब्राह्मण निवासी ईसरदा बहिस्सा बराबर अंकित है।

- ग्राम पावंडेरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में वर्तमान भू–प्रबंध कार्य सम्पन्न हो चुका है एवं साबिक खसरा नंबर 79 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 66 रकबा 1.49 है0 बना दिये।

- दौराने हाल सेटलमेन्ट नवीन खतोनी बन्दोवस्त व आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत 2057–57 के मुताबिक भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 66 रकबा 1.49 की खातेदारी शंकर पुत्र नन्दलाल ब्राह्मण कन्हैयालाल जगन्नाथ पुत्र व दुर्गा बेवा भंवरलाल कोम ब्राह्मण सा. ईसरदा हिस्सा बराबर के रूप में दर्ज की गई है, जिसमें कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ की जगह कन्हैयालाल जगन्नाथ पुत्र गलत दर्ज कर दिया है।

- वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों में सेग्रीगेशन किया गया है, जिसमें खातेदार का हिस्सा दर्ज किया, जिसमें प्रार्थीगण की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 525 पर कन्हैयालाल पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/4 जगन्नाथ पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/4 दुर्गा बेवा पत्नी भंवरलाल हिस्सा 1/4 शंकर पुत्र नन्दलाल हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण का ईसरदा खातेदार दर्ज कर दिया जो गलत है, जबकि कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3, दुर्गादेवी बेवा पत्नि भंवरलाल हिस्सा 1/3, शंकर पुत्र नन्दलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. ईसरदा खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था। प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि पर खातेदार शंकर पुत्र नन्दलाल, कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ ब्राह्मण की मृत्यु पर विरासत का नामान्तकरण खुलवाने बाबत् हल्का पटवारी पावडेरा को आवेदन दिया तो प्रार्थीगण को जमाबन्दी में किये गये गलत इन्द्राज का भी पता चला जिस पर राजस्व अभिलेख की नकल लेकर अ... संख्या 1 को आवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी पावडेरा द्वारा ... 2022/27–2 दिनांक 10.10.2022 की पालना में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें जमाबन्दी में गलत दर्ज इन्द्राज दौराने सेटलमेन्ट दिये रिकार्ड में होना अंकित कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.07.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

2023 को पेश की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनाक 10.07.2023 को समक्ष न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु निदेर्शित किया जिस पर नकल लेकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजनी आया।

❖ वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम पावडेरा तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ आया है।

❖ अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती पेश कर निवेदन है नवीन जमाबन्दी ग्राम पावडेरा तहसील चौथ का बरवाडा जमावंन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 525 में खसरा नम्बर 66 रकबा 1.49 है० पर दर्ज खातेदार कन्हैयालाल पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/4 जगन्नाथ पुत्र दुर्गा हिस्सा 1/4 दुगदिवी पत्नी भंवर लाल हिस्सा 1/4 शंकर पुत्र नन्दलाल हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा ईसरदा खातेदारी की जगह कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3, दुगदिवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा 1/3, शंकर पुत्र नन्दलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राह्मण सा. ईसरदा खातेदार शुद्ध फरमाया जावे एवं उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन फरमाया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये जाकर उनकी न्यायालय में तलवी की गई।

3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0/2026/47 दिनांक 13.01.2026 द्वारा रिपोर्ट पेश की है कि–

➢ मुताबिक जमाबन्दी संवत 2038 41 2043–47 साबिक खसरा नम्बर 79 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा शकरलाल पुत्र नन्दलाल, कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ, मु० दुर्गा बेवा भवरलाल कोग ब्राहमण सा० ईसरदा हिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

➢ मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 1.49 20 साबिक खसरा नम्बर 79 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा से बने है।

➢ नवीन खतौनी बन्दोबस्त तैयार करते समय हाल खसरा नम्बर 66 रकबा 1.49 की खातेदारी शंकरलाल पुत्र नन्दलाल, कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ गु० दुर्गा बेवा भवरलाल कोम ब्राहमण सा० ईसरदा हिस्सा बराबर के बजाय शंकर पुत्र नन्दलाल ब्राहमण कन्हैयालाल जगन्नाथ पुत्र व [illegible] भवरलाल कोम ब्राहमण निवासी ईसरदा हिस्सा बराबर दर्ज कर दी गई जो गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:03 IST
Reason: SelfAttested

Vijay
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- वर्तमान जमाबन्दी रावत 2073 76 के खाता संख्या 525 के खसरा नम्बर 66 रकबा 1.49 है कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि1/4, जगन्नाथ पुत्र दुर्गा हि1/4 दुर्गा पत्नि स्व भंवरलाल हि1/4, शकर पुत्र नन्दलाल हि1/4 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गलत है।

- अतः मुताबिक जगाबन्दी रावत 2038 41 एवं 2043–47 के हाल खरारा नम्बर 66 रकबा 149 है कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि1/4 जगन्नाथ पुत्र दुर्गा हि1/4, दुर्गा पत्नि स्व भवरलाल हि.1/4, शकर पुत्र नन्दलाल हि.1/4 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा के बजाय शकरलाल पुत्र नन्दलाल हि.1/3. कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ हि1/3. दुर्गा पत्नि स्व भवरलाल हि1/3 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा शुद्ध किया जाना उचित होगा।

4. बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया है कि दौराने हाल सेटलमेन्ट नवीन खतोनी बन्दोवस्त व आधार वर्ष जमाबन्दी सम्वत 2057–57 के मुताबिक भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 66 रकबा 1.49 की खातेदारी शंकर पुत्र नन्दलाल ब्राह्मण कन्हैयालाल जगन्नाथ पुत्र व दुर्गा बेवा भंवरलाल कोम ब्राह्मण सा. ईसरदा हिस्सा बराबर के रूप में दर्ज की गई है, जिसमें कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ की जगह कन्हैयालाल जगन्नाथ पुत्र गलत दर्ज कर दिया है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि वर्तमान जमाबन्दी रावत 2073 76 के खाता संख्या 525 के खसरा नम्बर 66 रकबा 1.49 है कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि0 1/4, जगन्नाथ पुत्र दुर्गा हि0 1/4 दुर्गा पत्नि स्व भंवरलाल हि0 1/4, शंकर पुत्र नन्दलाल हि0 1/4 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो गलत है। मुताबिक जगाबन्दी रावत 2038–41 एवं 2043–47 के हाल खरारा नम्बर 66 रकबा 149 है कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि0 1/4 जगन्नाथ पुत्र दुर्गा हि1/4, दुर्गा पत्नि स्व भवरलाल हि.1/4, शंकर पुत्र नन्दलाल हि0 1/4 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा के बजाय शंकरलाल पुत्र नन्दलाल हि.1/3, कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ हि0 1/3, दुर्गा पत्नि स्व भवरलाल हि0 1/3 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:03 IST
Reason: SelfAttested

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

—:आदेश:—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे जमाबंदी संवत् 2073—2076 के खाता संख्या 525 के खसरा नंबर 66 रकबा 1.49 है0 वाके ग्राम पांवडेरा में कन्हैयालाल पुत्र दुर्गालाल हि0 1/4 जगन्नाथ पुत्र दुर्गा हि1/4, दुर्गा पत्नि स्व भवरलाल हि.1/4, शंकर पुत्र नन्दलाल हि0 1/4 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा के बजाय शंकरलाल पुत्र नन्दलाल हि.1/3, कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ हि1/3, दुर्गा पत्नि स्व भवरलाल हि0 1/3 जाति ब्राहमण निवासी ईसरदा शुद्ध करे एवं तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:03 IST
Reason: SelfAttested